करना गैर कानूनी है साथ ही जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार समस्त सार्वजनिक परिसरों के प्रबंधकों-मालिकों को इस आशय का एक साइनेज भी लगाना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पर 200 रुपए तक का चालान काटकर दण्डित किया जाएगा। इसी प्रकार समस्त सरकारी गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों व कार्यालयों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किये गए है।

शहर जिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने स्वागत अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं से बातचीत में काजी निजामुद्दीन ने विधानसभा में कार्यकर्ताओं द्वारा अच्छे प्रदर्शन पर आभार व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में अधिकाधिक प्रयत्न कर कांग्रेस को जिताने की अपील की। उसके बाद काजी निजामुद्दीन ने अलग अलग समूह में पार्टीजनों से बात कर उनके विचारों को जाना। स्वागत करने वालों में प्रदेश सचिव हाजी जिया उर्रहमान आरिफ, राजकुमार किराडू, पूर्व महापौर एवं पूर्व यूआईटी चेयरमैन तथा पीसीसी सदस्य हाजी मकसूद अहमद, खाजूवाला विधायक गोविंदराम मेघवाल, पूर्व सांसद जमुना देवी बारूपाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश राजस्थानी, उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सांखला, ब्लॉक अध्यक्ष रमजान अली कच्छावा, वरिष्ठ कांग्रेसी वल्लभ कोचर, पप्पू जोशी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जादुसंगत, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गौड़, अमरजीत कौर, सुमित कोचर, प्रवक्ता नितिन वत्सस, डॉ. मिर्जा हैदर बेग, राकेश सिंगारिया, राजपाल पूनिया सहित कांग्रेसजन मौजूद थे।

इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफण्ड याचिका पर नोटिस

जीएसटी अधिनियम जंगली घोड़े की तरह न छोड़ें

बीकानेर (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने व्यापारियों की जीएसटी अधिनियम में इनपुट क्रेडिट रिफण्ड पर अधिनियमों की मनमानी व्याख्या रोकने के लिए दायर की गई एक याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली तथा इस बारे में केन्द्र सरकार, राजस्थान सरकार व जीएसटी कॉन्सिल को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब देने को कहा।

बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया ने एक विज्ञप्ति में बताया कि इनपुट क्रेडिट रिफण्ड को लेकर व्यापारी कई बार नियमों की विसंगतियों की तरफ ध्यान दिला चुके है लेकिन प्रशासन ने कोई गौर नहीं किया। इस पर जिला उद्योग संघ के सदस्य लखाणी मैटल एण्ड कास्टिंग्स प्रा.लि. के अन्तर्गत 28 जून 2017 की अधिसूचना के अन्तर्गत इनपुट क्रेडिट रिफण्ड से वंचित किये जाने पर याचिका प्रस्तुत की। याचिका में कहा गया कि भारतीय रेलवे को रेलवे पार्टस की आपूर्ति करने वाली फर्म को इनपुट क्रेडिट रिफण्ड से इन्कार कर दिया गया है। अधिनियम में जीएसटी अधिनियम की धारा 49 (6) का हवाला देते हुए ब्याज शुल्क और दण्ड के समायोजन के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी का वैधानिक अधिकार है लेकिन राज्य सरकार ने बिना न्यायिक परीक्षण के रिफण्ड से इन्कार कर दिया है। अधिनियम में केन्द्र और राज्य सरकार को ऐसी शक्तियां प्रदान है लेकिन अनुच्छेद 14, 19, 21 और 300 ए में मौलिक अधिकारों का भी स्पष्ट उल्लेख है। इससे पूर्व टैक्सटाइल, कपड़े और रेलवे उत्पादों आदि के बारे में रिफण्ड वापसी से इन्कार कर दिया गया था। टैक्सटाईल व फैब्रिक इण्डस्ट्री ने विरोध किया तो उन्हें रिफण्ड शुरू कर दिया लेकिन रेलवे पार्टस से सम्बन्धित इण्डस्ट्री को कोई राहत नहीं दी गई। याचिकाकर्ता फर्म के एडवोकेट रमेश मेहता और सौरभ माहेश्वरी ने न्यायालय से कहा कि जीएसटी अधिनियम को जंगली घोड़े की तरह न भागने दिया जाय जो कि अपने ही खेत का नुकसान कर रहा हो बल्कि व्यापारियों के हित में होना चाहिए।

लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

■ निज संवाददाता

जैसलमेर (दीपक भाटिया)। ... के मौके पर बकाया राजस्व वादों की विस्तृत समीक्षा की। इस मौके पर ... लगातार लम्बी होती जा रही है। राजस्व अधिकारियों को न्याय में देरी को कम करने के लिए सार्थक व सतत प्रयास करें। इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलक्टर वर्मा ने जिले में राजस्व तथा उप निवेशन सबंधी न्यायालय में